न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 205/2016 **दायरा दिनांक : 24.10.2016**

उनवान

1— रामप्रसाद आत्मज बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— गुड्डी बाई आत्मज बद्रीलाल पत्नी रमेश चन्द, जाति मीणा, निवासी भतवासी

3— छोटीबाई आत्मज लटूरलाल पत्नी सियाराम, जाति मीणा, निवासी सुनारिया

4— गोपाल आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5— श्रवण आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— हरजी मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7— गोरधन मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8— धन्ना लाल आत्मज कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

9— छीतर लाल आत्मज कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

10— जमना लाल आत्मज कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11– पुष्पाबाई आत्मज कन्हैया लाल पत्नी छीतरलाल, जाति मीणा, निवासी बॉसखेड़ा

12– किशोरी बाई पत्नी कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी भूमरी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गजरी बाई आत्मज लटूरलाल पत्नी गोपाल, जाति मीणा, निवासी ईरली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– शाखा प्रबन्धंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा सारोलाकलॉ

3– शाखा प्रबन्धंक झालावाड, केन्द्रीय बैंक, शाखा सारोलाकलॉ

4– राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, खानपुर तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 812/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम भूमरी नकल जमाबंदी सम्वत 2069–72 की खतौनी संख्या 31 की कुल किता 13 कुल रकबा 55 बीघा 3 बिस्वा स्थित है जिसमें वादी ने 1/18 हिस्सा दर्ज होने बाबत न्यायालय में वाद संस्थित किया जिस पर पत्रावली को राजस्व

लोक अदालत में न्याय आपके द्वारा अभियान में रखा जहा। पर प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने तथा प्रकरण में किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बन पाने पर भी वाद को डिक्री करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु तहसीलदार खानपुर को आदेशित किया । इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी जनजाति के सदस्यों की पुश्तैनी आराजी रही है जिसमें वादी के महिला होने से उसे किसी भी प्रकार से उत्तराधिकार हासिल नहीं है, वह अपने हिस्से को अलग कराने की अधिकारिणी नहीं है । प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण मामले को ज्यूडिकेचर न्यायालय के समक्ष निर्णीत हेतु भेजा जाना चाहिए था जहां पर मामले को भू राजस्व अधिनियम 1956 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रक्रिया के तहत ही निर्णय कियाक जा सके । यदि लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी अपने में ज्यूडिकेचर न्यायालय की शक्ति निहित होने की अवस्था में ज्यूडिकेचर न्यायालय की प्रक्रिया को अपनाते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुरूप लोक अदालत के प्रावधानों से परे जाकर तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण को विधिक हकों व अधिकार से वंचित रखा जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.09.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अभिभाषक अपीलांट ने The Legal Services Authorities Act. 1987 Sec. 19 धारा 21 पेज 44 पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई ।

चूंकि उभयपक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और उत्तराधिकार का प्रश्न निहित है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः न्याय सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा